न्यायालय समक्ष श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प भोपाल

5 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

श्रीमती सरजू बाई बेवा नन्हे भैया
निवासी ग्राम अजबगांव तहसील
सोहागपुर जिला होशंगाबाद ....आवेदिका

(5)

बनाम

श्रीमती जीजन बाई पत्नि रामभरोस
निवासी ग्राम अजबगांव तहसील
सोहागपुर जिला होशंगाबाद ....अनावेदिका

निगरानी - 0244/2019/होशंगाबाद/भू.रा.

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 भू राजस्व संहिता

आवेदिका यह रिवीजन माननीय अपर आयुक्त महोदय नर्मदापुरम सभाग होशंगाबाद के न्यायालय के प्र0क्र0 11/अपील/17–18 आदेश दिनांक 31.10.18 जिसके तहत आवेदिका द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त की गई है के विरूद्ध क्षुब्ध होकर निम्न तथ्यों व आधारो पर प्रस्तुत है!

जो उत्पन्न अनु0 अधिकारी सोहागपुर के रा0प्र0क्र0 1अ6 16–17 आदेश दिनांक 25.7.17 एवं तहसीलदार सोहागपुर के प्र0क0 24अ6/15–16 आदेश दिनांक 12.8.16 से हुई है!

तथ्य

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि तुलसीराम वल्द गुरदू द्वारा अपने जीवनकाल में दिनांक 6.7.89 को रजिस्टर्ड वसीयतनामा आवेदिका सरजू बाई के पक्ष में ग्राम अजबगांव तह0 सोहागपुर जिला होशंगाबाद में ख0नं0 15/1 रकबा 4.21 एकड एवं ख0नं0 142/1 रकबा 7.30 एकड में से 4 एकड जुमला रकबा 8.21 एकड भूमि का वसीयतनामा निष्पादित किया! तूलसीराम की मृत्यु पश्चात आवेदिका ने नाभांतरण हेतु आवेदन तहसीलदार सोहागपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका प्र0क्र0 46अ–6/2008–09 में दर्ज होकर 29.9.2009 को आवेदिका के पक्ष में नामांतरण आदेश पारित किया और राजस्व अभिलेख में तहसीलदार के नामांतरण आदेश दिनांक 29.9.09 के अनुसार अपीलार्थी का नाम वर्ष 2008–09 के राजस्व अभिलेख में दर्ज किया गया जो 15–16 तक दर्ज रहा है!

1. यह कि तहसीलदार सोहागपुर के आदेश दिनांक 29.9.09 के विरूद्ध अनावेदिका द्वारा अपील अनु0 अधिकारी सोहागपुर के न्यायालय में पेश की जो अनु0 अधिकारी द्वारा 25.11.09 को निरस्त की गई जिसके विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त महोदय नर्मदापुरम संभाग के समक्ष पेश की गई जो 1.8.13 को निरस्त की गई।

2. यह कि इसके बाद अनावेदिका द्वारा एक आवेदन नायब तहसीलदार सोहागपुर के न्यायालय में इस आशय का पेश किया कि सरजू बाई के पक्ष में सोहागपुर के न्यायालय में इस आशय का पेश किया कि सरजू बाई के पक्ष में तुलसीराम द्वारा किया गया वसीयतनामा निरस्त किया जाये। उक्त आवेदन

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 0244/2019/होशंगाबाद/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6-8-2019	निगरानी की ग्राह्यता के संबंध में प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी अपर आयुक्त, अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद के द्वारा प्रकरण क्रमांक 11/अपील/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 31-10-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । मूल नामांतरण आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई थी जिसे अस्वीकार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित उक्त आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसे अपर आयुक्त ने उपरोक्त प्रकरण में दिनांक 31-10-2018 को आदेश पारित कर अस्वीकार किया । म.प्र. भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018 जो 27 जुलाई 2018 को मध्यप्रदेश राजपत्र (साधारण) में प्रकाशित हुआ । जिसके तहत संहिता की धारा 50 (2)(ख) के अनुसार द्वितीय अपील में पारित किसी आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण का आवेदन पत्र ग्रहण नहीं किया जा सकता जब तक कि ऐसा आवेदन पत्र संशोधन अधिनियम के प्रवृत्त होने के पूर्व न किया गया हो । आवेदक की ओर से यह निगरानी डाक द्वारा इस न्यायालय को दिनांक 5-2-19 को प्राप्त हुआ, जो कि संशोधन अधिनियम प्रवृत्त होने के बाद का है । अतः उक्त संशोधन अधिनियम के आधार पर इस निगरानी याचिका को स्वीकार किया जाना विधि अनुकूल नहीं । निगरानी याचिका अस्वीकार की जाती है । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । (इकबाल सिंह बैंस) अध्यक्ष 6/8/19	